राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/प्रगति–1/2017–18 जयपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 11.05.2017 एवं अ.शा. पत्र दिनांक 6.7.17

इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण रहे आवासों को वर्ष 2015–16 से लगातार विभागीय स्तर से समीक्षा/निर्देशों के उपरान्त भी 149342 आवास अभी भी अपूर्ण है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.05.2017 द्वारा आवासीय योजनाओं (IAY+CMBPL) के अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को अक्टूबर, 2017 तक जिलों को माहवार पूर्ण कराने के लक्ष्य आवंटित किये गये। माह जून, 2017 तक आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध दिनांक 11.07.2017 तक जिलेवार अर्जित प्रगति रिपोर्ट संलग्न है। जिसके अनुसार आवासीय योजनाओं (IAY+CMBPL) में 20.4 % एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत मात्र 7.9 % है, जो कि यह दर्शाता है कि योजना कियान्वयन हेतु जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा योजना कियान्वयन में लापरवाही बरती जा रही है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से राज्य में इन्दिरा आवास /मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 47274 आवास विभिन्न कारणों यथा अप्रारम्भ/राशि का दुरूपयोग/मृत्यु भूमि विवाद आदि से अपूर्ण है। इस कम में प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण के लिए जारी इकाई अनुदान सहायता का अनुपयोजन एवं प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण पहली किश्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप योजना विफल रही, के ड्राफ्ट अनुच्छेद तैयार कर विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुए है।

आवासीय योजनाओं के कियान्वयन हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/सम्बन्धित प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. <u>इन्दिरा आवास/मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना :–</u>

- योजना के दिशानिर्देशानुसार स्वीकृत आवासों को अधिकतम 2 में एवं विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जाना है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल आवास योजना में, इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देश ही लागू है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु 7.3 जिसमें कि लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण में विलम्ब करने पर उप बिन्दु (IV) के अन्तर्गत "लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त की राशि जमा होने के एक माह भीतर लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण प्रारम्भ नहीं करने की ग्राम सेवक से लिखित सूचना प्राप्त होते ही 15–15 दिवस के अन्तराल में दो लिखित नोटिस लाभार्थी को रजिस्टर्ड जारी करना एवं ग्राम सेवक को भी लाभार्थी से पुनः 15–15 दिवस में सम्पर्क कर आवास निर्माण प्रारम्भ कराना।

* उक्तानुसार लाभार्थी द्वारा दो माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर प्रथम किश्त की राशि ब्याज सहित वसूल करने का नोटिस जारी कर राशि वसूली के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक को उत्तरदायी माना है।"
* मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना अन्तर्गत जिला परिषदों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर हडकों से फ्लोटिग ब्याज दर पर आवास निर्माण हेतु ऋण लिया गया है। जिसमें आवश्यकतानुसार जिला परिषदों द्वारा ऋण अवमुक्त कराकर, एवं अवमुक्त ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 माह की अवधि में हडकों को प्रेषित किया जाना होता है।
* उक्त योजना के आवासों को समय पर पूरा नहीं करने की स्थिति में ऋण राशि पर लगने वाले ब्याज की राशि के लिए विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पूर्ण रूप से दोषी माने जाने का प्रावधान निहित है।

2. **<u>प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :–</u>**

* योजना के दिशानिर्देशानुसार स्वीकृत आवासों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जाना है।
* गत वर्षों में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराये जाने की प्रगति के आधार पर भी राज्य को योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त जारी करने हेतु चैक लिस्ट में प्रावधान किया गया है।

योजना के कियान्वयन/सम्पादन के लिए अधिकारी/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. **ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 का बिन्दु संख्या 10.6 –** व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अंतर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है एवं जिनका निर्माण लाभार्थी द्वार करवाया जाता है, उनके निर्माण की निगरानी का उत्तरदायित्व विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति तथा सरपंच, ग्राम पंचायत/सचिव, ग्राम पंचायत का होगा।

विभाग द्वारा अभियान के रूप में पूर्ण कराने के हेतु लगातार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति अर्जित नहीं होने से स्पष्ट है कि जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा योजना कियान्वयन में लापरवाही बरती गई/समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यानुसार प्रगति की अर्जित की समीक्षा कर योजना कियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाते हुए लक्ष्यानुसार शत प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
8. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं.मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx

House Completion Progress Against Target

S No.	District	IAY + CMBPL Total Year 11-12 to 15-16					PAMY-G 2016-17		
		In-complete 11.05.17	Target up to june	in-complete 11.07.17	Achivement	% Achivement	Target up to june	Complete	% Complete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALWAR	470	74	337	133	179.7	336	3	0.9
2	BHARATPUR	217	98	157	60	61.2	432	0	0.0
3	JALORE	2487	793	2108	379	47.8	2508	103	4.1
4	BARMER	2384	1522	1728	656	43.1	2560	24	0.9
5	BANSWARA	20551	10697	16354	4197	39.2	10776	381	3.5
6	PALI	3170	831	2875	295	35.5	2432	448	18.4
7	JAISALMER	108	67	89	19	28.2	620	7	1.1
8	CHITTORGARH	3100	584	2938	162	27.7	1848	24	1.3
9	DAUSA	1449	474	1318	131	27.6	416	0	0.0
10	SAWAI MADHOPUR	3096	1547	2701	395	25.5	628	0	0.0
11	BUNDI	3057	991	2820	237	23.9	780	7	0.9
12	SIKAR	63	25	57	6	23.7	136	26	19.1
13	CHURU	638	321	568	70	21.8	280	8	2.9
14	BARAN	5333	1373	5042	291	21.2	1196	0	0.0
15	TONK	2452	531	2341	111	20.9	1084	11	1.0
16	BHILWARA	6838	2964	6245	593	20.0	1912	2189	114.5
17	DUNGARPUR	29710	18056	26175	3535	19.6	3780	7	0.2
18	JODHPUR	2762	1134	2564	198	17.5	2312	7	0.3
19	PRATAPGARH	8512	5235	7702	810	15.5	1384	13	0.9
20	SIROHI	2447	436	2380	67	15.4	740	6	0.8
21	UDAIPUR	40549	26607	36733	3816	14.3	4256	92	2.2
22	KARAULI	4994	2177	4695	299	13.7	920	0	0.0
23	RAJSAMAND	3750	1352	3575	175	12.9	452	0	0.0
24	JHALAWAR	5154	2097	4914	240	11.4	1656	74	4.5
25	JAIPUR	2605	829	2523	82	9.9	452	51	11.3
26	DHOLPUR	917	143	904	13	9.1	496	177	35.7
27	BIKANER	2786	1067	2700	86	8.1	988	0	0.0
28	AJMER	1575	556	1533	42	7.6	508	102	20.1
29	NAGAUR	439	123	430	9	7.3	1000	58	5.8
30	SRI GANGANAGAR	1821	877	1759	62	7.1	1128	79	7.0
31	HANUMANGARH	344	99	338	6	6.1	928	43	4.6
32	KOTA	2745	843	2711	34	4.0	1040	28	2.7
33	JHUNJHUNU	28	2	28	0	0.0	92	0	0.0
	Total	166551	84524	149342	17209	20.4	50060	3968	7.9

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/प्रगति–1/2017–18 जयपुर, दिनांक 11 मई, 2017

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने की कार्ययोजना बाबत।

विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से अभी भी 1.66 लाख आवास अपूर्ण हैं, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 की द्वितीय किश्त की राशि जारी करने से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक दिनांक 03.05.2017 के दौरान आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी अपूर्ण आवासो को माह जुलाई, 2017 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः निर्देशानुसार विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक 1.66 लाख आवासों की निम्नानुसार समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर संलग्न आवंटित लक्ष्यानुसार प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावेः–

1. विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत विशेष शिथिलता प्रदान कर लाभार्थी की सहमति से विवादित/असहाय लाभार्थियों के आवास ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. विभागीय पत्र दिनांक 07 मार्च, 2017 के क्रम में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी ग्राम पंचायत के माध्यम से आवास पूर्ण कराने हेतु सहमति उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवाससॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करावे।
3. विवादित स्थलो पर निर्मित आवासों के पट्टा वितरण अभियांन के दौरान प्राथमिकता पर नियमानुसार प्रकरण निस्तारित करावे।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को संलग्न माहवार लक्ष्यानुसार माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, योजना की प्रगति की समीक्षा आगामी कलक्टर कान्फ्रेन्स में भी प्रस्तावित है।

सलग्नः– जिलेवार लक्ष्य। –(2)

11.5.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यलय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

Monthly target for completion of PMAY-G Houses

S.N.	District	Sanctions Made	Target for Completion					
			May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17
			5%	15%	20%	20%	20%	20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AJMER	2539	127	381	508	508	508	507
2	ALWAR	1676	84	252	335	335	335	335
3	BANSWARA	53879	2694	8082	10776	10776	10776	10775
4	BARAN	5986	299	897	1197	1197	1197	1199
5	BARMER	12799	640	1920	2560	2560	2560	2559
6	BHARATPUR	2156	108	324	431	431	431	431
7	BHILWARA	9568	478	1434	1914	1914	1914	1914
8	BIKANER	4948	247	741	990	990	990	990
9	BUNDI	3908	195	585	782	782	782	782
10	CHITTORGARH	9241	462	1386	1848	1848	1848	1849
11	CHURU	1398	70	210	280	280	280	278
12	DAUSA	2070	104	312	414	414	414	412
13	DHOLPUR	2473	124	372	495	495	495	492
14	DUNGARPUR	18893	945	2835	3779	3779	3779	3776
15	HANUMANGARH	4630	232	696	926	926	926	924
16	JAIPUR	2255	113	339	451	451	451	450
17	JAISALMER	3095	155	465	619	619	619	618
18	JALORE	12531	627	1881	2506	2506	2506	2505
19	JHALAWAR	8271	414	1242	1654	1654	1654	1653
20	JHUNJHUNU	462	23	69	92	92	92	94
21	JODHPUR	11551	578	1734	2310	2310	2310	2309
22	KARAULI	4607	230	690	921	921	921	924
23	KOTA	5193	260	780	1039	1039	1039	1036
24	NAGAUR	4993	250	750	999	999	999	996
25	PALI	12167	608	1824	2433	2433	2433	2436
26	PRATAPGARH	6913	346	1038	1383	1383	1383	1380
27	RAJSAMAND	2258	113	339	452	452	452	450
28	SAWAI MADHOPUR	3135	157	471	627	627	627	626
29	SIKAR	676	34	102	135	135	135	135
30	SIROHI	3691	185	555	738	738	738	737
31	SRI GANGANAGAR	5642	282	846	1128	1128	1128	1130
32	TONK	5419	271	813	1084	1084	1084	1083
33	UDAIPUR	21274	1064	3192	4255	4255	4255	4253
Total		**250297**	**12515**	**37545**	**50059**	**50059**	**50059**	**50060**

Monthly Target

S.No.	District	[illegible]			Monthly Target		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	AJMER	1575	741	834	278	278	649
2	ALWAR	470	359	111	37	37	217
3	BANSWARA	20551	4506	16045	5348	5348	7601
4	BARAN	5333	3273	2060	687	687	2323
5	BARMER	2384	101	2283	761	761	812
6	BHARATPUR	217	70	147	49	49	84
7	BHILWARA	6838	2392	4446	1482	1482	2678
8	BIKANER	2786	1186	1600	533	533	1126
9	BUNDI	3057	1571	1486	495	495	1281
10	CHITTORGARH	3100	2224	876	292	292	1404
11	CHURU	638	156	482	161	161	239
12	DAUSA	1449	738	711	237	237	606
13	DHOLPUR	917	703	214	71	71	423
14	DUNGARPUR	29710	2626	27084	9028	9028	10341
15	HANUMANGARH	344	196	148	49	49	147
16	JAIPUR	2605	1362	1243	414	414	1095
17	JAISALMER	108	7	101	34	34	37
18	JALORE	2487	1297	1190	397	397	1045
19	JHALAWAR	5154	2009	3145	1048	1048	2053
20	JHUNJHUNU	28	25	3	1	1	14
21	JODHPUR	2762	1061	1701	567	567	1098
22	KARAULI	4994	1728	3266	1089	1089	1953
23	KOTA	2745	1481	1264	421	421	1162
24	NAGAUR	439	255	184	61	61	189
25	PALI	3170	1923	1247	416	416	1377
26	PRATAPGARH	8512	659	7853	2618	2618	2947
27	RAJSAMAND	3750	1722	2028	676	676	1537
28	SAWAI MADHOPUR	3096	776	2320	773	773	1161
29	SIKAR	63	25	38	13	13	25
30	SIROHI	2447	1793	654	218	218	1115
31	SRI GANGANAGAR	1821	506	1315	438	438	691
32	TONK	2452	1656	796	265	265	1093
33	UDAIPUR	40549	638	39911	13304	13304	13623
	Total	166551	39765	126786	42262	42262	62145